भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 563

दिनांक 05 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

विषय: बर्ड फ्लू का उपचार करने के लिए टीकाकरण

563 श्री संजय सिंह:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुर्गीपालन विशेषज्ञों के अनुसार विषाणुओं के कुछ स्ट्रेन के कारण होने वाले बर्ड फ्लू का उपचार करने से संबंधित टीकाकरण अनेक देशों में उपलब्ध है और पक्षियों को चुनकर मारने की तुलना में यह एक बेहतर विकल्प होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में इन टीकाओं के उपयोग को अनुमति प्रदान करने के संबंध में कोई उपाय किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन टीकाओं की भारत में अन्य देशों से तस्करी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) और (ख) विश्व पशु स्वाथ्य संगठन (ओआईई) के अनुसार यदि टीकाकरण का वांछित परिणाम उन्मूलन है, तो टीकाकरण को एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) के नियंत्रण का समाधान नहीं माना जाता। संक्रमण की स्थिति में निगरानी प्रणाली के प्रयोग, कड़ी जैव-सुरक्षा और निर्वासन के बिना इस बात की संभावना है कि ये वायरस टीकाकृत पोल्ट्री आबादी में स्थानिक हो सकते हैं। टीकाकृत आबादी में वायरस के लंबे समय तक विचरण के परिणामस्वरूप वायरस में एंटीजेनिक तथा आनुवंशिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं और ऐसा कई देशों में होने की सूचना मिली है।

टीकाकरण के दीर्घकालिक उपयोग से या तो रोग स्थानिक हो गया है और इसलिए व्यापक हो गया है, या फिर प्रभावित पशुओं में संक्रमण का पता लगाना बहुत मुश्किल है। भारत सरकार ने देश में बर्डफ्लू के लिए किसी भी टीके के उपयोग की अनुमति नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल ड्रग्स स्टैन्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) से यह सूचना एकत्र की गई है कि यूएसए, यूके, ईयू आदि जैसे देशों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की रोकथाम/उपचार हेतु ऐसे किसी टीके को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों को बर्डफ्लू के टीके की तस्करी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

******